



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042024-253548
CG-DL-E-04042024-253548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]
No. 235]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 3, 2024/चैत्र 14, 1946
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 3, 2024/CHAITRA 14, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./3-पीपीपीएल (01)/ 2024 (ई-4911)— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ,-

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 में, -

(क) विनियम (7) में,-

(क) उप-विनियमन (1) में, -

(I) खंड (क) में, -

- (i) शब्द "बोर्ड दस वर्ष के पश्चात् प्रशुल्क की समीक्षा करेगा और तत्पश्चात् संभावित आधार पर पांच वर्ष के ब्लॉक के लिए निर्धारित करेगा।" को लोप किया जाएगा और "*****" के रूप में पढ़ा जाएगा।

(II) खंड (ख) में, -

- (i) शब्द "बोर्ड दस वर्ष के बाद प्रशुल्क की समीक्षा करेगा और तत्पश्चात् संभावित आधार पर पांच वर्ष के ब्लॉक के लिए निर्धारित करेगा।" को लोप किया जाएगा और "*****" के रूप में पढ़ा जाएगा।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./004/2024-25]

पाद टिप्पण: मुख्य विनियम सा.का.नि. 722(अ), दिनांक 01/09/2010 के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् फा.सं.एल-विविध/VI/1/2007, दिनांक 01/01/2015, फा.सं. वीकेएस/डीबी/03/ पीपीएल, दिनांक 29.03.2016 और फा.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि/3- पीपीपीएल(06)/2022, दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2024

F. No. PNGRB/Auth/3-PPPL (01)/2024 (E-4911)— In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to further amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010, namely: -

1. Short title and commencement, -

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Amendment Regulations, 2024.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010, -

a) in regulation (7),-

(A) in sub-regulation (1),-

I. in Clause (a),-

- (i) the words "The Board shall review the tariff after ten years and fix for a block of five years thereafter on prospective basis." shall be omitted and read as "*****".

II. in Clause (b),-

- (i) the words “The Board shall review the tariff after ten years and fix for a block of five years thereafter on prospective basis.” shall be omitted and read as “*****”.

VANDANA SHARMA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./004/2024-25]

Foot Note: The Principal regulations were notified vide G.S.R. 722(E), dated 01/09/2010 and subsequently amended vide F. No. L-MISC/VI/I/2007, dated 01/01/2015, F. No. VKS/DB/03/PPL, dated 29.03.2016 and F. No. PNGRB/Auth/3-PPPL(06)/2022 dated 18/12/2023.